निर्देश

- 1. कृपया सभी उद्देश्यों के लिए अंत में दिए गए दूरभाष / फ़ैक्स एवं ई मेल का प्रयोग करें। कृपया सभी प्रकार के पत्राचार में अपने र . ले. नि. लेखा संख्या का उल्लेख करें।
- 2. अप्रैल से मार्च के वर्ष में , मार्च से फरवरी के वेतन बिल में हुई वसूली सम्मिलित हैं।
- 3. यदि अभिदाता ने अब तक नाम निर्देशन नहीं दिया है अथवा अपने द्वारा दिये गए पिछले नाम निर्देशन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो , डी एस ओ पी फंड के नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में नाम निर्देशन/ परिशोधित नाम निर्देशन दे दिया जाए।
- 4. वार्षिक विवरणी में डी एस ओ पी फंड की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए, कृपया अभिदाता जांच लें कि मासिक लेखा विवरणी में दिया गया ब्यौरा सही है।
- 5. अभिदाता का कर्तव्य है कि वे छूटे हुए जमा तथा अतिरिक्त जमा हुई राशि के संबंध में सूचना दें। सेवानिवृत्ति से पूर्व , पूर्ण एवं अंतिम पुनरीक्षण के समय किसी भी प्रकार का अतिरिक्त जमा तथा छूटे हुए नामे की वसूली बिना नोटिस के ब्याज सहित की जाएगी।
- 6. डी एस ओ पी फंड की वार्षिक लेखा विवरणी यानी कि सी सी ओ-9 की प्रतिलिपि कभी मुद्रित नहीं की जाती। यदि कोई त्रुटि, संशोधन आदि हो तो, यह अगले वर्ष के सी सी ओ-9 में दर्शाई जाएगी। इससे संबन्धित संशोधन का लिखित पृष्टीकरण कार्यालय, र.ले.प्र.नि.(अ) पुणे से लिया जा सकता है।
- 7. डी एस ओ पी फंड के अंतिम निपटान हेतु दस्तावेज़ों की प्रस्तुति एवं नियत तारीख पर भुगतान के लिए अपना वैंक खाता संख्या , आई एफ एस सी कोड और पता समय पर देना सुनिश्चित किया जाए।
- 8. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र सं. 13(3)/84-पी यू दिनांक 12.06.1985 के अंतर्गत परिचालित कार्यालय ज्ञापन के आलोक में डी एस ओ पी फंड की वार्षिक लेखा विवरणी में दर्शाया गया अंत शेष, अंतिम आहरण/ अंतिम निपटान/ निधि शेष के स्थानांतरण के समय वास्तविक समीक्षा और पुनरावर्तन के बाद संशोधन के अधीन है। उपरोक्त मद सं 5 भी देख लें।
- यदि किसी अतिरिक्त भुगतान की सूचना अंतिम निपटान के बाद दी जाए तो इसकी वसूली टी आर/पेंशन लाभों से की जाएगी।

NCIPAL CONTROLLER OF DE

वेबसाइट: https://pcdaopune.gov.in

संपर्क करें :

फ़ैक्स: 020- 26453446

ई-मेल: ledger-pcdaopune@nic.in

Instructions

- Please use Telephone/ Fax and e-mail given at the end for all purposes. Please mention your CDA A/C Number in all correspondences.
- 2. The year April to March embraces recoveries in pay bills March to February.
- If the subscriber has not made nomination or desires to make any alteration in his / her previous nominations, he/she should furnish the nomination / revised nomination in the prescribed form in accordance with the rule of DSOP Fund.
- 4. To ensure accuracy of DSOP Fund Balance in the Annual Statement, the subscriber is requested to verify the details have been shown correctly in the monthly Statement of Accounts.
- 5. The subscriber is duty bound to point out any missing credits or excess credits that may appear. Any excess credits/ missing debits will be recovered with interest at the time of full and final review prior to retirement, without any notice.
- 6. No duplicate Annual statement of Account for DSOP Fund i.e. CCO-9 is ever printed. In case if any error or correction etc., the same will be reflected in next year's CCO-9. A written confirmation of such correction may however, be obtained from the O/O the PCDA(O) Pune.
- Ensure timely submission of documents for Final Settlement of DSOP Fund and provide your Bank Account No., IFSC Code and Address for payment on due date.
- 8. The Closing Balance reflected in Annual Statement of DSOP Fund Account, is subject to modification after review and recasting of actual at the time of Final Withdrawal/ Final Settlement/ Transfer of Fund Balance in the light of the OM circulated under DOPT No. 13(3)/84-PU dated 12/06/1985. Also refer to item 5 above.
- Any excess payment, if notified after Final Settlement, is also recoverable through TR/ pension Benefits.

Website: https://pcdaopune.gov.in

Contact:

FAX: 020-26453446

E-mail: ledger-pcdaopune@nic.in

Abbreviations:

MTH	Month	AMT	Amount
SUB	Subscription (Includes All Adjustments)	INT.GENERATED	Interest Generated
REF	Refund Of Withdrawal	ARREAR	Indicates Credits/Debits Pertaining To Past Period